| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|

20/4/15

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–213/2010–11

शंकर राम

बनाम

चनर राम

आदेश

आवेदक शंकर राम द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया के न्यायालय के जमाबन्दी रद्द वाद संख्या–24/2009–10 में दिनांक 20.03.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण वाद दायर किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक की जमाबन्दी संख्या–1159 को रद्द कर दिया गया है। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सूना गया। विचारण हेतु वाद को अंगीकृत किया गया। निम्न न्यायालय की अभिलेख की माँग की गई तथा विपक्षी को सूनवाई हेतु सूचना दी गई। भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया से जमाबन्दी रद्द वाद संख्या–24/2009–10 प्राप्त हुआ है। विपक्षी द्वारा प्रतिउतर दाखिल किया गया है।

आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत् जमीन ग्राम–जमुनिया में अवस्थित है। जिसका खाता संख्या–224, खेसरा संख्या–1959/1 रकबा 22 डी० है। यह जमीन अंचल बन्दोवस्ती अभिलेख संख्या–28/1981–82 एवं अनुमंडल वाद संख्या–17/1983–84 से प्राप्त है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 30.07.1983 द्वारा इस जमीन को आवेदक को वन्दोवस्त कर दिया जिसके आधार पर जमाबन्दी संख्या–1159 उनके नाम से सृजित हुआ। वे इस जमीन का नियमित लगान का भुगतान करते आ रहे है। लेकिन विपक्षी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया को आवेदक के नाम से सृजित जमाबन्दी को रद्द करने का आवेदन पत्र दिया जिसे

20-4-15

स्वीकृत कर लिया गया।

आवेदक का कहना है कि भूमि उप समाहर्ता बेतिया ने अंचल अधिकारी नौतन से प्रतिवेदन माँगा। लेकिन उनहोने प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया। इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया ने भूमि सुधार कार्यालय में संबंधित पंजी के आधार पर आदेश पारित किया है कि पंजी में केश न0–16/1983 तक इन्द्राज है, लेकिन केश न0–17/1983–84 इन्द्राज नहीं है। उनका कहना है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया ने वाद की सच्ची प्रतिलिपि एवं बन्दोवस्ती के आधार पर निर्गत पर्चा पर कोई विचार नहीं किया। उन्होने निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

विपक्षी का कहना है कि यह वाद दाखिल खारिज की कार्रवाई से संबंधित नहीं है बल्कि यह बन्दोवस्ती से संबंधित है, विपक्षी का कहना है कि निम्न न्यायालय के पंजी से स्पष्ट होता है कि बन्दोवस्ती वाद संख्या–17/1983–84 कभी अस्तित्व में था ही नहीं, वर्ष 1983–84 में वाद संख्या 16/1983 तक ही बन्दोवस्ती हुई। बन्दोवस्ती वाद संख्या–17/1983–84 का वर्ष 1983–84 में कोई अस्तित्व ही नहीं था। जिससे यह साबित होता है कि आवेदक के नाम से कोई बन्दोवस्ती नहीं हुई अगर कोई बन्दोवस्ती हुई है, तो फर्जी है। अतः विपक्षी का कहना है कि निम्न न्यायालय ने आवेदक के नाम से कायम की गई जमाबन्दी संख्या–1159 को सही तरीके से रद्द किया गया है।

विपक्षी का कहना है कि खाता संख्या–224 खेसरा संख्या–2016 रकबा 2 डी०, खेसरा संख्या–1959/02 रकबा 28 डी0 खेसरा–1959 रकबा 32 डी0 कुल रकबा 62 डी0 जमीन वर्ष–1975–76 में बन्दोवस्त की गई एवं जमाबन्दी संख्या–778 विपक्षी के बड़े भाई जई महरा के नाम से कायम की गई, फिर उसी जमीन को वर्ष 1983–84 में बन्दोवस्त करना असंभव है। अतः विपक्षी द्वारा आवेदक के दावा को गलत बताते हुए पुनरीक्षण वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया ने अपने आदेश दिनांक 20.03.2010

20-4-15

में उल्लेख किया है कि विपक्षी चनर राउत का कथन है कि मौजा जमुनिया के खाता संख्या–224 खेसरा 1959 रकबा 62 डी० गैर मजरूआ मालिक जमीन है। जिसपर उनका दखल कब्जा है। वर्ष 1975–76 में खाता संख्या–224 खेसरा संख्या–2076 रकबा 2 डी0 खेसरा सं0–1959 रकबा 28 डी0 जमीन का पर्चा जई महरा के नाम से तैयार हुआं जो विपक्षी के बडे भाई थे तथा तभी से सरकार को लगान देते रहे है। विपक्षी का यह भी कहना है, कि अंचल अधिकारी, नौतन ने लगान निर्धारण वाद सं0–17/1983–84 (28/1981–82) से शंकर राम के नाम से जमाबन्दी संख्या–1159 सृजित कर दिया है।

अंचल अधिकारी नौतन ने अपने आदेश में उल्लेख कियाा है कि भूमि सुधार कार्यालय में उपलब्ध बन्दोवस्ती पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पंजी के पृष्ठ संख्या–124 (1975–76) के क्रमांक 02 में जई महरा वल्द–झपसी चमार के नाम से खाता संख्या 224 खेसरा 20/06 रकबा 02 डी० खेसरा संख्या–1959/02 रकबा 28 डी० एवं खेसरा–1959/11 रकबा 32 डी० कुल रकबा 62 डी० जमीन की बन्दोवस्ती हुई है, तथा पर्चा की छायाप्रति में जमाबन्दी संख्या–778 दर्ज है। आवेदक शंकर राम द्वारा दाखिल किये गये पर्चा के छाया–प्रति में अभिलेख सं0– $\frac{17/83-84}{(28/81-82)}$ में शंकर राम, पिता– जयराम चमार, साकिन–जमुनिया को गैर मजरूआ जमीन के खाता संख्या 224 खेसरा–1959 रकबा 62 डी० जमीन की जमाबन्दी संख्या–1159 है। जबकि भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय में संधारित बन्दोवस्ती पंजी 1983–84 में उस वर्ष बन्दोवस्ती संख्या–16/1983–84 तक ही दर्ज है तथा उसके वाद कोई वाद दर्ज नहीं है तथा दूसरे (पेज संख्या–39) वर्ष 1984–85 का अभिलेख संख्या अंकित किया है, कि वर्ष 1975–76 में स्वीकृत बन्दोवस्ती वाद संख्या–10/1975–76 क्रमांक 02 में जई महरा का नाम अंकित है जो विपक्षी के बडे भाई है। जबकि आवेदक की पर्चा की छाया प्रति में दर्ज अनुमंडल बन्दोवस्ती वाद संख्या– 17/1983–84 पंजी में नहीं है जो स्पष्टतः धोखा–धडी का मामला बनता है।

उपरोक्त परिपेक्षण में भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया ने विपक्षी चनर राउत के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए बिना

20/4/15

सक्षम पदाधिकारी के आदेश के मौजा जमुनिया के जमाबन्दी संख्या 1159 बनाम शंकर राम के सृजित होने के कारण रद्द कर दिया है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ता को सूना गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि विपक्षी के बडे भाई के नाम से वर्ष 1975–76 में प्रश्नंगत जमीन की बन्दोवस्ती की गई एवं उनके नाम से जमाबन्दी कायम की गई जबकि आवेदक के नाम से उसी जमीन का लगान निर्धारण वाद संख्य–17/1983–84 के आधार पर जमाबन्दी संख्या–1159 कायम की गई है जबकि इसका इन्द्राज भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय के पंजी में नहीं है।

उपरोक्त विवेचित तथ्यो के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया के आदेश दिनांक 20.03.2010 को कोई त्रुटि न पाकर इसे बरकारार रखते हुए आवेदक के पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता बेतिया /अंचल अधिकारी, नौतन को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

20-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

20-4-15

अपर समाहर्त्ता,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।